प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **121 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)

सुशील कुमार सिंह चौहान पताः 9—बी, पुष्पा नगर डायलाब, जयपुर—उदयपुर लिंक रोड़, बांसवाड़ा, राज.

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 15/10/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 09.06.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 121 / 25 / 783—84 दिनांक 12.08.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्राक प. / 41 / 2 / सू.अ / प्र.अ.स. / 121 / 25 / 1004—05 दिनांक 13.10.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.06.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो कि दिनांक 16.06.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा पत्रावली संख्या प5 12 / 3(37)राज / रूपा / होटल / 2010 / 2324—30 दिनांक 12.09.2012 में स्वीकृत नक्शे की प्रतिलिपि चाही गई है। इस क्रम में प्रार्थी द्वारा व्यक्तिशः कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त कर ली गई है। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर सूचना प्राप्त कर ली गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति / प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुये है। ऐसी स्थिति में

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15-10-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर